

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़

इजलास - त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 58/2007

तारीख दायर 21.04.2007

उनवान

1. श्रीमति सुरज कंवर पत्नी स्व. नारायण सिंह राजपूत निवासी दौलपुरा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2. बंटी पुत्र रघुवीर सिंह राजपूत अल्प वयस्क जरिये संरक्षिका श्रीमती सुरजकंवर पत्नी स्व. नारायण सिंह राजपूत निवासी दौलपुरा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
3. सुश्री शीलु कंवर पुत्री देवकंवर राजपूत अल्प वयस्क जरिये संरक्षिका सुरजकंवर पत्नी स्व. नारायण सिंह राजपूत निवासी दौलपुरा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
4. नंदसिंह उर्फ शेरसिंह पुत्र देवकंवर राजपूत अल्प वयस्क जरिये संरक्षिका सुरजकंवर पत्नी स्व. नारायण सिंह राजपूत निवासी दौलपुरा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

—वादीगण

बनाम

1. सुश्री राजेश पुत्री रतनसिंह राजपूत निवासी दौलपुरा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2. सुश्री गुडडी पुत्री रतनसिंह राजपूत अल्प वयस्क जरिये संरक्षिका श्रीमति मानकंवर पत्नी स्व. रतनसिंह राजपूत निवासी दौलपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
3. श्रीमति मानकंवर पत्नी स्व. रतनसिंह राजपूत निवासी दौलपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
4. शोभाग सिंह पिता गिरवर सिंह राजपूत निवासी दौलपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
5. राजू सिंह पिता गिरवर सिंह राजपूत नि0 दौलपुरा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
6. मेनेजर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा भीलवाड़ा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री महेशचन्द सुखवाल, अधिवक्ता (वादीगण)
2. श्री गिरधारी लाल आचार्य, अधिवक्ता (प्रतिवादीगण)

वादपत्र अर्न्तगत धारा 53-88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

—: निर्णय:—

दिनांक :- 11.11.2019

वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अंतर्गत धारा 53-88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वाद नियमित सुनवाई इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.12.2015 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम दौलपुरा पटवार हल्का श्रीनगर तहसील माण्डलगढ़ में स्थित आराजी संख्या 24, 25, 26, 37, 38, 441/38 कुल कित्ता 6 रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार वाई एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्राथमिक डिक्री के माण्डलगढ़ आदेश दिये जाकर तहसीलदार माण्डलगढ़ को विभाजन कर बंटवाडा प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया।

तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा आदेशानुसार बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 17.08.2016 को विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस जमाबंदी के प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता सुनी गई। वादी एवं प्रतिवादीगण तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव से सहमत है।

अतः वाद पत्र वादीगण अंतर्गत धारा 53-88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :-

क्र. सं.	नाम खातेदार	मौजा	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1	बंटी पि० रघुवीर सिंह शीलू कंवर नन्दसिंह पुत्र देवकंवर राजपूत श्रीमती सुरजकंवर पत्नी स्व. नारायण सिंह राजपूत नि० दौलपुरा खातेदार	दौलपुरा	24/1	5.04	-
	योग		किता 1	5.04	-
2	राजेश गुडडी पुत्री रतनसिंह मानकंवर पत्नी स्व. रतनसिंह शोभागसिंह, राजूसिंह पि. गिरवर सिंह राजपूत नि० दौलपुरा खातेदार रहन: बदस्तूर	दौलपुरा	24 25 37 38 441/38	2.01 3.01 5.18 4.08 0.02	
	योग		किता 5	15.10	-
3	वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के बीच निम्न भूमियां शामिल खाते में रहेगी	दौलपुरा	26	0.03	
	योग		किता 1	0.03	-

उक्तानुसार खातेदारों के नाम पर भूमि पृथक पृथक दर्ज किए जाने के आदेश दिये जाते हैं। वकील वादी द्वारा नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेश करने पर डिफ्री मुर्तिब हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(त्रिलोक चन्द मीना)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़